

(भारत सरकार का उपक्रम)

सर्किल सफ़्ट पटना साउथ, 2रा तल्ला, चन्द्रपुरा पैलेस, पश्चिमी गाँधी मैदान, बैंक रोड, पटना-800001, बिहार

अचल सम्पत्ति के बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना।
सर्वसाधारण एवं विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं), जमानतदार(रों) एवं बंधककर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/बंधक है, जिसका सांकेतिक कब्जा **पंजाब नैशनल बैंक** (सुरक्षित लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, नीचे उल्लेखित उधारकर्ता(ओं), जमानतदार(रों) एवं बंधककर्ता(ओं) से **पंजाब नैशनल बैंक** (सुरक्षित लेनदार) की बकाया राशि की वसूली के लिए निम्नलिखित सम्पत्तियों को "जैसा है जो है", "जैसा है जो है" एवं "वहाँ जो कुछ भी है" के आधार पर निम्नलिखित तालिका में दिये तिथि एवं समय पर बेची जाएगी। आरक्षित मूल्य एवं अग्रधन राशि भी नीचे तालिका में सम्पत्ति के सामने वर्णित है

सुरक्षित परिसम्पत्तियों की अनुसूची

लॉट सं.	शाखा का नाम खाता का नाम ऋणी/जमानतदार का नाम एवं पता	क) सरफेसी अधिनियम 2002 के धारा 13(2) के तहत माँग सूचना की तिथि ख) बकाया राशि ग) सरफेसी अधिनियम 2002 के धारा 13(4) के तहत कब्जा सूचना की तिथि घ) कब्जा स्वरूप सांकेतिक/भौतिक/संरचनात्मक	बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण/ मालिक का नाम (सम्पत्तियों के बंधककर्ता)	क) आरक्षित मूल्य (रु. लाख में) ख) ईएमडी (केवाईसी एवं ईएमपी जमा करने की अंतिम तारीख) ग) बोली वद्धि राशि	ई-नीलामी की तारीख/समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात एकम्ब्रेस का विवरण
1.	शाखा: ट्रांसपोर्ट नगर, पटना खाता नं.: 4057001B00003954 ऋणी: सिन्हा स्वाम्यार (सिन्हा कन्सट्रक्शन का यूनिट) प्रमोटर: अनिरुद्ध कुमार	क) 03.07.2019 ख) ₹93876506.50 (रु. नौ करोड़ अड़सति लाख छेहतर हजार पाँच सौ छः एवं पैसे पचास मात्र) साथ में अद्यतन ब्याज, लागत एवं अन्य शुल्क ग) 21.10.2019 घ) सांकेतिक	जमीन एवं बेसमेंट + जी+5 भवन का सांथिक बंधक जो मोहल्ला-कास्टर्स टाउन, मौजा-श्यामगंज, देवधर, झारखण्ड में अवस्थित है, प्लॉट नं.-833(भाग), होलिंग नं.-318, जमाबंदी नं.-96/3258, थाना नं.-413, सेल डीका नं.-344/2018 अनिरुद्ध कुमार के नाम से है,रकबा-7153 वर्गफीट। चौहद्दी:-उत्तर-लक्ष्मी देवी बरवाला, दक्षिण-3 फीट चौड़ी गली, पूरब-सेठ सुरज मल जालान रोड, पश्चिम-नृत्य धाम' सम्पत्ति का भाग।	A) 7,21,09,260/- B) 72,10,926/- (09.08.2021) C) 10,00,00/-	12.08.2021 From 12:00 noon to 1:00 pm	शून्य

- बिक्री, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 और निम्न नियम एवं शर्तों के अधीन होगी। नीलामी बिक्री "ई-नीलामी के माध्यम से ऑनलाइन" पोर्टल <http://www.mstcecommerce.com> से होगी।
- इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों से अनुरोध है कि वे अपने मोबाइल नं. और ईमेल-आईडी का उपयोग करके पोर्टल (<http://www.mstcauction.com>) पर पंजीकरण करें। इसके अलावा, उनसे अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है। केवाईसी दस्तावेजों को ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा सत्यापित किया जाएगा (इस प्रक्रिया में 2 कार्यदिवस लग सकते हैं)। इसके बाद इच्छुक बोलीदाताओं/क्र्रेताओं को पोर्टल में ई-नीलामी की तारीख और समय से पहले (09.08.2021) अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाइन मोड का उपयोग करके ईएमडी राशि को स्थानांतरित करना होगा। केवाईसी दस्तावेजों का पंजीकरण, सत्यापन और वॉलेट में ईएमडी के हस्तांतरण को नीलामी से पहले अग्रिम रूप से अच्छी तरह से पूरा किया जाना चाहिए।
- उपर्युक्त के रूप में अग्रिम धन जमा (ईएमडी) राशि का भुगतान 3 मोड अर्थात् एनईएफटी/नकद/ट्रांसफर (से चलान जनरेट करने के बाद) (<https://www.mstcecommerce.com>) बोलीदाताओं के ईएमडी वॉलेट में ऑनलाइन किया जाएगा। एनईएफटी ट्रांसफर किसी भी शेड्यूल्ड कॉमर्सियल बैंक से किया जा सकता है, लेकिन कैश/ट्रांसफर के लिए बोली लगानेवाले को पंजाब नैशनल बैंक ब्रान्च का दौरा करना होगा, ईएमडी का भुगतान किसी अन्य मोड जैसे चेक से स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोलीदाताओं को आवश्यक ईएमडी ऑनलाइन जमा नहीं करने पर ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अर्जित धनराशि किसी भी ब्याज को वहन नहीं करेगी।
- ई-नीलामी के लिए प्लेटफॉर्म (<https://www.mstcecommerce.com>) ई-नीलामी सेवा प्रदाता M/s MSTC Limited द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिसका पंजीकृत कार्यालय 225-सी, ए.जे.सी. बोस रोड, कोलकाता-700020 में है। (सम्पर्क फोन और टोल फ्री नं.-079-41072412/411/413 o4 1800-103-5342)। इच्छुक बोलीदाताओं/क्र्रेताओं द्वारा ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाइट <https://www.mstcecommerce.com> पर ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना है। यह सेवा प्रदाता पोर्टल पर ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रदर्शन/प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा।
- बिक्री के सामान्य नियमों और शर्तों वाली बिक्री सूचना निम्नलिखित वेबसाइटों/वेब पेज पोर्टल पर उपलब्ध/प्रकाशित है:- (1) <https://www.ibapi.in>, (2) <https://eprocure.gov.in/epublish/app>, (3) <https://www.mstcecommerce.com>, (4) www.pnbindia.in,
- ई-नीलामी के इच्छुक प्रतिभागी ई-नीलामी की बिक्री सूचना, नियम व शर्तों की प्रतियाँ, ई-नीलामी के परिचालन भाग पर ई-नीलामी से संबंधित मदद मैनुअल e-Bक्रय-IBAPI पोर्टल (<https://www.ibapi.in>) से नि:शुल्क डाउनलोड कर सकते हैं।
- इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों से अनुरोध है कि वे अपने मोबाइल नं.- और ई-मेल आईडी का उपयोग करके पोर्टल (<https://www.mstcauction.com>) पर पंजीकरण करें। इसके अलावा, वे अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करेंगे। एक बार केवाईसी दस्तावेजों को ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा सत्यापित किया जाएगा। (इसके लिए 2 कार्य दिवस लग सकते हैं), इच्छुक बोली दाताओं/क्र्रेताओं को अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाइन मोड का उपयोग करके ईएमडी राशि को स्थानांतरित करना होगा। अपने वॉलेट में पर्याप्त ईएमडी होने के बाद ही, इच्छुक बोलीदाता ई-नीलामी की तिथि पर बोली लगा सकते हैं।
- बोली लगाने के समय बोलीदाता के ग्लोबल वॉलेट में पर्याप्त शेष राशि (>=EMD amount) होनी चाहिए।
- ई-नीलामी के दौरान इंटर से बोली में बोली लगानेवालों को अंतिम बोली के ऊपर उच्चतर बोली लगाने को अनुमति दी जाएगी और बोली राशि की न्यूनतम वृद्धि बोलीदाताओं की अंतिम उच्च बोली के लिए **₹.10,000/-** की होनी चाहिए। बोली लगाने वालों को क्रमिक उच्चतर बोली लगाने के लिए दस मिनट का समय दिया जायेगा और यदि किसी बोलीदाता द्वारा अंतिम उच्चतर बोली के लिए दस मिनट की समाप्ति के बाद किसी भी उच्चतर बोली की पेशकश नहीं की जाती है, तो ई-नीलामी बंद हो जाएगा।
- यह नीलामी की परिचालन सूचना, बिक्री नियमावली, ई-ऑक्शन के परिचालन से संबंधित हेल्प मैनुअल नियमों और शर्तों को ठीक से पढ़ने और उन्हें सख्ती से पालन करने की जिम्मेदारी बोलीदाताओं की होगी।
(1) ई-नीलामी प्रक्रिया से पहले या इस दौरान किसी भी कठिनाई होने पर सहायता हेतु हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता के अधिकृत प्रतिनिधि (<https://www.mstcecommerce.com>) से संपर्क किया जा सकता है। जिसका विवरण ई-नीलामी पोर्टल पर उपलब्ध है।
- प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ई-नीलामी को अंतिम रूप देने के बाद, केवल सफल बोलीदाता को हमारे उपरोक्त सेवा प्रदाता द्वारा एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। (उनके द्वारा सेवा प्रदाता के पास दिये गये/पंजीकृत किये गए मोबाइल नं./ई-मेल पर)।
- सुरक्षित परिसम्पत्ति को आरक्षित मूल्य से नीचे नहीं बेचा जायेगा।
- सफल बोलीदाता को बोली राशि का 25% (पच्चीस प्रतिशत) (ईएमडी जमा राशि घटाकर) उसी दिन या अगले कार्यदिवस में जमा करना होगा एवं शेष राशि का भुगतान बैंकर्स चेक/डीमांड ड्राफ्ट के रूप में नीलामी की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा किया जायेगा। ड्राफ्ट किसी भी अनुसूचित व्यवसायिक बैंक द्वारा "प्राधिकृत अधिकारी, पं. नै. बैंक, A/c (4057003171160) पेयेबल अट" जारी किया जाएगा। निर्धारित समय के भीतर उक्त राशि जमा करने में विफलता के मामले में देय, सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई राशि बैंक द्वारा जब कर ली जायेगी और प्राधिकृत अधिकारी के पास सम्पत्ति को नये सिर से नीलामी/बिक्री करने की स्वतंत्रता होगी और डिफॉल्टर बोली लगाने वाले के पास जब राशि और संपत्ति पर कोई दावा नहीं होगा।
- सफल बोलीदाता को बिक्री पर विचार होने के बाद बैंक को भुगतान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194-1 ए के तहत टीडीएस के अधीन होगा एवं सफल बोलीदाता द्वारा बोली राशि के शेष 75% पूर्ण राशि के जमा के समय ही टीडीएस किया जाना है।
- प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने, यदि बोली स्वीकार्य नहीं पाया जाता है तो, या स्थगित/रद्द/टालने/बंद करने या किसी भी समय नीलामी की शर्तों को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा।
- बिक्री प्रमाण-पत्र अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण बोली राशि जमा करने पर सफल बोलीदाता के पक्ष में जारी किया जाएगा।
- सम्पत्तियों को "जैसा है, जहाँ है" एवं "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जा रहा है।
- अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसम्पत्तियों के विवरण को प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोच्च जानकारी के अनुसार कहा गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलत कथन या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- बोली लगाने से पहले यह बोली लगाने वालों की जिम्मेदारी होगी कि वे परिसम्पत्ति और विनिर्देश के बारे में निरीक्षण करें और स्वयं को सन्तुष्ट करें। बोली लगाने वाले विवरण के अनुसार बोली लगाने वाले अधिकारी के परामर्श से संपत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं।
- सभी वैधानिक देय/परिचर शुल्क/पंजीकरण शुल्क, स्ट्यांप्ड शुल्क, कर आदि सहित अन्य देय राशि क्र्रेता को वहन करनी होगी।
- प्राधिकृत अधिकारी या बैंक किसी भी प्रभार, ग्रहणाधिकार, एकम्ब्रेस या सरकार या किसी अन्य को देय सम्पत्तियों (ई-नीलामी) के संबंध में बैंक को ज्ञात नहीं होने के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वे संपत्तियों पर सांविधिक के बारे में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करें, जिसमें वैधानिक दायित्व, सम्पत्ति कर का बकाया आदि शामिल हैं।
- बोली लगाने वाले को उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी, पावर बैंक-अप आदि सुनिश्चित करना चाहिए। इंटरनेट की विफलता बिजली की विफलता या तकनीकी कारणों या आक्समिकताओं के कारण बैंक किसी भी व्यावधान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- प्रतिनिधि को नियुक्त करने और स्व-बोली लगाने और नीलामी में भाग लेने के लिए बैंक स्वतंत्र है।

(सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत वैधानिक 15 दिनों की सूचना)

विवरण एवं बिक्री की शर्तों के लिए, कृपया निम्न वेबसाइट देखें: <https://www.ibapi.in>, <https://eprocure.gov.in/epublish/app>, <https://www.mstcecommerce.com/>, www.pnbindia.in